

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत _____ उपखण्ड अधिकारी _____ मुकाम _____ चिड़ावा _____
 सतीश सिंह _____ बनाम _____ मूल सिंह वगै० _____
 क्रम मुकदमात _____ प्रार्थना पत्र _____ 212 _____ नं. _____ 40 _____ सन् _____ 2022 _____

तारीख हुक्म _____ हुक्म या कार्यवाही मय इनिधिल्स जज _____ नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

12.04.22

आज यह प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु जरिये नोटिस नकल प्रार्थना पत्र भेजकर की जावे। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा 36 रकबा 1.9500 है०, मौजा ग्राम मण्डेला में अप्रार्थी संख्या 01 को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी के हक व हिस्से तक की भूमि में वे राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तिथि तक बनाई रखें। अ० आदेश 39 नियम 3 सी०पी०सी० की पालना सुनिश्चित की जावें। मिसल वास्ते तलबी हेतु दिनांक 17.05.2022 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुञ्झुनू (राज.)

17/5/22

पत्रावली पत्रावली की प्रतिलिपि
 की रसीद प्रिन्ट की मी हक दावा रानी नाम
 इसके पर इसके किया जा-युक्त है। इतलिके
 प्रार्थना पत्र निषेधाज्ञा का-व्यवस्था
 कोर इन्तर्नियम नष्टी है इतलिके प्रार्थना
 पत्र निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा रानी नाम
 पत्रावली पत्रावली प्रिन्ट इतलिके
 इतलिके नाम की नाम प्रिन्ट का-व्यवस्था

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

